भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1411

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

सरकारी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए प्रधान मंत्री-सेतु

1411. श्री जी. सेल्वमः

श्री सी.एन.अन्नादुरईः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 1,000 सरकारी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत प्रयोगशालाओं, मशीनरी और उद्योग-संगत पाठ्यक्रम के साथ आधुनिकीकरण करने के लिए पीएम-सेतु लॉन्च किया है;

(ख) तमिलनाडु में उन्नयन के लिए चयनित सरकारी आईटीआई का ब्यौरा क्या है पीएम-सेतु के अंतर्गत तथा तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य के छात्रों को बेहतर प्लेसमेंट अवसर और उद्योगों तक पहुंच मिल रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु के आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए इस योजना और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण क्या है; और

(ङ) राज्य के अर्ध-शहरी और ग्रामीण जिलों में युवाओं के लिए आधुनिकीकरण किए गए प्रशिक्षण से युवाओं को उच्च रोजगार क्षमता और उनमें उद्यमिता नियोज्यता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) मंत्रिमंडल ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगारपरकता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना को मंजूरी प्रदान की है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. आईटीआई और एनएसटीआई में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना;
ii. उद्योग मानकों के अनुसार अवसंरचना और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;
iii. विशेष रूप से नए और उभरते क्षेत्रों में, उद्योग-अनुरूप दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना;
iv. माँग-आधारित कौशल विकास और बेहतर रोज़गार अवसरों के लिए उद्योग संपर्क को सुदृढ़ करना; और
v. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता को बढ़ाना।

(ख) पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योगोन के साथ परामर्श करके किया जाता है, जिससे उभरती कौशल आवश्यकताओं तथा स्थानीय औद्योगिक क्षमता के साथ समन्वय सुनिश्चित हो सके। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उद्योग भागीदारों के सहयोग से अभिचिन्हित आईटीआई क्लस्टर के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रायोगिक चरण में पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत 34 राजकीय आईटीआई (06 हब आईटीआई तथा 28 स्पोक आईटीआई) का अभिनिर्धारण किया गया है। हालांकि, प्रस्तावित क्लस्टरों के लिए उद्योग भागीदारों की प्रतिक्रिया के आधार पर ही हब-एंड-स्पोक आईटीआई क्लस्टरों को वित्तीय सहायता हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) और (घ) पीएम-सेतु योजना उद्योग-संचालित शासन व्यवस्था के माध्यम से रोजगारपरकता संबंधी परिणामों में सुधार करने पर ध्यान दिया जाता है और इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को उद्योग-संगत कौशल अर्जित करने, वास्तविक कार्य परिवेश का अनुभव प्राप्त करने तथा सुदृढ़ संस्थागत प्रणालियों एवं उद्योग के साथ सशक्त सहभागिता के माध्यम से कैरियर मार्गदर्शन, रोजगार सहायता और स्व-रोजगार सहायता सुलभ कराई जाती है। उद्योग भागीदार के चयन हेतु अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) के एवज में एक कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अब तक बारह (12) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उद्योगों की अभिरुचि आमंत्रित करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/आरएफपी जारी की गई है। अब तक राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की स्वीकृति हेतु कोई भी एसआईपी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

चूँकि, अब तक कोई भी एसआईपी स्वीकृत नहीं हुई है, अतः पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई के उन्नयन हेतु कोई भी धनराशि जारी नहीं की गई है। तथापि, मौजूदा राजकीय आईटीआई को मॉडल आईटीआई में उन्नत करने की योजना के अंतर्गत आईटीआई, कोयंबटूर के लिए कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹3.99 करोड़ में से ₹49.50 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई है।

(ङ) सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस योजना के अंतर्गत उद्योग-संचालित विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के माध्यम से आधुनिकीकृत प्रशिक्षण के परिणाम रोजगारपरकता और उद्यमशीलता में सुधार के रूप में प्राप्त हो, जिसमें अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण जिले भी सम्मिलित हैं। यह प्रस्ताव है कि ये एसवीपी उन्नयन प्रक्रिया की अगुवाई करें तथा इन्हें पाठ्यक्रम पुनर्रचना, प्रशिक्षण प्रदायगी मॉडल में सुधार, अवसंरचना उन्नयन, उद्योग संपर्क/अनुभव तथा स्थानीय उद्योग आवश्यकताओं और योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्लेसमेंट या स्व-रोजगार सुविधा को सुदृढ़ करने जैसे हस्तक्षेप के लिए अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, समग्र आईटीआई रूपांतरण हेतु कार्यनीतिक परामर्श एवं सुधार कार्यबल (सार्थी) का गठन कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में किया गया है। यह कार्यबल शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत पाठ्यक्रम विकास तथा मानकीकरण, ट्रेड परीक्षण एवं प्रमाणन में सुधार, आईटीआई हेतु मान्यता और विनियामक मानदंडों, उद्योग-संस्थान सहभागिता को सुदृढ़ करने तथा अंतर-मंत्रालयी और संस्थागत समन्वय को सुगम बनाने के संबंध में परामर्शात्मक सुझाव प्रदान करेगा।

*****